न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग (भरतपुर) राज.

व इजलास राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस

मु.सं. 18/2015 रैफरैन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कामां (भरतपुर)

–प्रार्थी

बनाम

1.माधुरी देवी पत्नी स्व0 गोपाल देव जी कौम ब्राहण साकेन कामां 2. बल्लभलाल 3. बृजवल्लभ 4. गिर्राज 5. शशांक पसिरान स्व0 गोपाल देव जी 6 निरूपा 7. रूबी पुत्रीयान स्व0 गोपाल देव जी जातियान ब्राहण साकेन कामां 8. रामप्रसाद पुत्र बोदन कौम मीणा साकेन कामां 9. छोटल्ली पुत्र सौन्या (मृतक) 10. कला 11. रेवती पुत्रीयान सौन्या जातियान मीणा साकेन कामां 12 इमरती पुत्री देवीराम जाति मीणा 13. किरनदेई पुत्री स्व0 मूली 14. जगदीश पुत्र स्व0 मूली जातियान मीणा साकेन कामां 15. लालाराम 16. मोती 17. रामस्वरूप पिसरान दयाचन्द (मृतक) 17/1 त्रिवेणी पत्नी रामस्वरूप 17/2 राधेश्याम 17/3 बिहारी 17/4 चेतन पिसरान रामस्वरूप कौम माली साकेन गोपीनाथ मोहल्ला पानी की टंकी के पास कामां तहसील कामां 17/5 बिन्दा देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी राजू कौम माली निवासी ग्राम सतोहा तह0 व जिला मथुरा 17/6 चन्दा देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी यादराम कौम माली निवासी दोताना तह0 छाता जिला मथुरा 17/7 सुषमा देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी सूरज उर्फ बॉबी कौम माली साकेन बिडला मन्दिर के पास जिला मथुरा उ.प्र. 18. गारवती 19. अंगूरी पुत्रीयान दयाचन्द जातियान माली सा0 कामां (भरतपुर)

–अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां जिला भरतपुर (राज०)

निर्णय

दिनांक 30.08.2017

प्रार्थी तहसीलदार तहसील कामां जिला भरतपुर ने यह रैफरैन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2768, 2779 किता 2 रकवा 0.04 है0 वाके कामा नं0 2 तहसील कामां जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2003 में दर्ज रही है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है। जिस पर नामा0 से प्राप्त खातेदारी परिवर्तन किसी भी महन्त अथवा पुजारी व अन्य कोई व्यक्ति नहीं करा सकता है। उक्त विवादग्रस्त भूमि वर्तमान रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के अनुसार आराजी ख0नं0 2768, 2779 किता 2 रकवा 0.04 है0 वाके कामा नं0 2 जो खातेदारान के नाम है। जोकि नामा0 संख्या 623, 2612, 2887, 3276 दर्ज हुआ है। जिसकी किस्म गैर मुम0 चाह एवं गैर मुम0 टीला है। जो नियमानुसार निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि के नामा0 संख्या 623, 2612, 2887, 3276 दर्ज हुए हैं व अवैध होने से खारिज योग्य हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2003 के खाता सं0 121 पर मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है। इसके बाद नामा0 सं0 623, 2612, 2887, 3276 वयनामा आदि से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 के नाम दर्ज हुए हैं जबकि मन्दिर मूर्ति की आराजी शाश्वत नावालिग होने के कारण अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती है। अतः रैफरैन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मन्दिर प्रकरण के नामा0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज0सरकार जरिये तहसीलदार,कांमा बनाम माधुरी देवी वगै0 18/2015, रैफरैन्स

सं0 623, 2612, 2887, 3276 नियम विरूद्ध होने से निरस्त करवाने एंव इनके आधार पर दर्ज वर्तमान इन्द्राज को निरस्त कराने तथा भूमि को पूर्ववत रिकॉर्ड में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज कराने हेतु रैफरैन्स स्वीकार कर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

अप्रार्थी संख्या 17(मृतक) के वारिसान की ओर से श्री फूलचन्द गुप्ता एडवोकेट उपस्थित अदालत आए एवं उनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिसिल किया गया। शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित अदालत नहीं आए। शेष के उपस्थित न होने पर उनकी गैरहाजिरी दर्ज की गई।

बहस पैरोकार सरकार तहसीलदार कांमा व वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पैराकोर सरकार तहसीलदार कांमा ने अपनी लिखित बहस भी पेश की है। लिखित बहस में वर्णित है कि "विवादित आराजी खसरा नं0 2768, 2779 किता दो रकवा 0.04 है0 वाके ग्राम कामां नं0 2 राजस्व रिकॉर्ड में आराजी का हिस्सा 1/2 मार्फ मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है। तथा शेष 1/2 हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम है। उक्त भूमि खुद काश्त माफी श्री गोपीनाथ जी मन्दिर के नाम सम्वत् 2003 से ही दर्ज है। अतः उक्त आराजी पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। विवादग्रस्त आराजी का हिस्सा 1/2 जो माधुरी देवी पत्नी गोपाल देव जी वल्लभलाल, ब्रजवल्लभ, दिलीप, शशांक पिसरान गोपाल देव जी निरूपा, रूबी, पुत्रियान गोपाल देव जी कौम ब्राह्मण सा0 कामां के नाम वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जोकि गलत हैं। मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अतः उक्त आराजी का नामान्तरण संख्या 623, 2612, 2887, 3276 से दर्ज होकर जो रिकॉर्ड में परिवर्तन हुआ है वह नामा0 निरस्त योग्य है। उक्त आराजी का जो सम्पूर्ण हिस्सा का रैफरैन्स प्रस्तुत किया है। उसमें मन्दिर की ही भूमि 1/2 हिस्सा का खातेदारी ही निरस्त होनी है। मन्दिर के अलावा शेष आराजी 1/2 हिस्सा के बाबत जो खातेदारी दी गई है वह सही है। अतः मन्दिर श्री गोपीनाथ जी की ही 1/2 हिस्सा की आराजी की बावत रैफरैन्स स्वीकार योग्य है। मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम खुद काश्त दर्ज थी। उसकी खातेदारी गलत रूप से गैर कानूनी तरीके से दी गई है। अतः मन्दिर की 1/2 हिस्सा की आराजी गलत दर्ज की है। जो निरस्त योग्य है।

रैफरैन्स की मद संख्या 5 में प्रकरण मन्दिर भूमि बनाम अब्दुल रहमान भी सहवन से गलत लिखा गया है। उसे नहीं पढा जावे। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा जो मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की खुद काश्त की आराजी है और वर्तमान में खातेदारान के नाम दर्ज है उसे निरस्त कराए जाने हेतु रैफरैन्स स्वीकार कर मन्दिर श्री गोपीनाथ जी के नाम कर दिए जाने के आदेश प्रदान करें।"

पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर उस पर गौर किया एवं पैरोकार सरकार की लिखित बहस का भी अवलोकन किया पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 वाके कामां न0 2 पर आराजी खसरा नम्बर 2768/0.03 गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 2779/0.01 गैर मुम0 टीला माधुरी देवी पत्नी स्व0 गोपाल देव वल्लभ लाल, ब्रजवल्लभ, दिलीप, शशांक पिसरान गोपाल देव जी निरूपा व रूबी पुत्रीयान गोपाल देव जी व हिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा कौम ब्राह्मण, रामप्रसाद पुत्र बोदन 1/24 हिस्सा छोटल्ली पुत्र सौन्या का 1/24 हिस्सा कला रेवती पुत्रियान सौन्या व हिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा इमरती पुत्री देवीराम 1/24 हिस्सा किरनदेई पत्नी मूली व जगदीश पुत्री मूली व हिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा, कौम मैना लालाराम मोती, रामस्वरूप पिसरान दयाचन्द, पारवती, अंगूरी पुत्रियान दयाचन्द व हिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा कौम माली सा0 देह खातेदार के अंकन हैं। नकल जमाबन्दी ढाल बांच सम्वत् 2003 वाके कस्बा कामां के अवलोकन से प्रकट है कि केवट खतौनी संख्या 121 पर कॉलम संख्या 4 में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी मजकूर आराजी खसरा नम्बर 2768 रकवा 4 विस्वा व ख0 सं0 2779 रकवा 1 विस्वा पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज.

राज0सरकार जरिये तहसीलदार,कांमा बनाम माधुरी देवी वगै0 18/2015, रैफरैन्स

अंकन है। नकल खसरा टीप मौजा कस्बा कामां सम्वत् 2003–2006 में आराजी ख0 नं0 2768 रकबा 4 विस्वा गैर मुम0 चाह दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजी ख0 न0 2779 रकवा 1 विस्वा गैर मुम0 मन्दिर दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार साविक रिकॉर्ड में विवादित आराजी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी की खुद काश्त की आराजी होना प्रकट है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 वाके ग्राम कस्बा कामां के अवलोकन से प्रकट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2768 रकवा 4 विस्वा गैर मुम0 व खसरा नम्बर 2779 रकवा 1 विस्वा गैर मुमकिन मन्दिर पर कॉलम संख्या 5 में गोपाल देव जी पुत्र माधोलाल देव जी खुदकाश्त निस्फ व सोन्या पुत्र खैराती कौम मैना चौथाई, दयाचन्द पुत्र घूडा कौम माली चौथाई सा0 देह खातेदार के अंकन हैं।

उक्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड नकल जमावन्दी सम्वत् 2023–2026 वाके कस्बा कामां के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट है कि विवादित आराजी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के निस्फ हिस्सा की खुदकाश्त आराजी पर पुजारी श्री गोपाल देव जी नाम के इन्द्राज हैं तथा शेष 1/2 हिस्सा की काश्त पर अन्य लोगों के नाम के इन्द्राजात हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2003 के खाता सं0 121 पर मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है। मन्दिर श्री गोपीनाथ जी की निस्फ हिस्सा खुदकाश्त की आराजी रिकॉर्ड से प्रमाणित होती है। शेष निस्फ हिस्सा काश्त अन्य लोगों के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के निस्फ हिस्सा की खुदकाश्त आराजी पर गलत रूप से हो रहे इन्द्राजात निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को विवादित आराजी के निस्फ हिस्से की काश्त को मन्दिर श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम दर्ज किए जाने हेतु सक्षम आदेश पारित किये जाने बावत रैफरैन्स प्रस्तुत किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी तहसीलदार तहसील कामां जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरैन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि विवादित आराजी ख0नं0 2768/0.03, 2779/0.01 किता 2 रकवा 0.04 के हिस्सा 1/2 को मन्दिर मूर्ती श्री गोपीनाथ जी महाराज के नाम इन्द्राज किए जाने हेतु सक्षम स्वीकृति/आदेश फरमाये।

असल पत्रावली मय निर्णय की चार प्रतियों के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रेषित किए जाने हेतु तहसीलदार कामां को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

निर्णय आज दिनांक 30.08.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर राज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official